

कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 02.03.2020 को सम्पन्न आन्तरिक लेखा परीक्षा उप समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 02.03.2020 को कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गाजियाबाद प्रथम, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर जोन द्वितीय, आगरा, फैजाबाद, वाराणसी प्रथम एवं झांसी जोन के एजेण्डा पर आन्तरिक लेखा परीक्षा उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने प्रतिभाग किया:-

1. श्री शैलेश गिरि, एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
2. श्री अजीत कुमार शुक्ला, एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य

2. उक्त वर्णित जोनों के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रेषित किये गये भाग-2(ब) के निम्न प्रस्तरों की अनुपालन आख्या पर उपसमिति द्वारा विचार किया गया, विचारोपरान्त निम्नलिखित प्रस्तरों की आपत्तियों का निराकरण कर दिये जाने तथा आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में आरोपित कर/ब्याज/अर्थदण्ड की धनराशि जमा करा लिये जाने के कारण कार्यवाही पूर्ण हो गयी है। अतः कृत अनुपालन सन्तोषजनक पाये जाने पर उपसमिति द्वारा इन्हें निक्षेपित करने का निर्णय लिया गया:-

जोन का नाम	प्रतिवेदन सं०/दि०	कार्यालय का नाम	प्रस्तर संख्या
गाजियाबाद प्रथम	788 / 20.03.17	खण्ड-10 गाजियाबाद	3
	797 / 23.03.17	खण्ड-11 गाजियाबाद	4
	20 / 07.04.11	खण्ड-4 गाजियाबाद	1,2
	222 / 19.07.17	स० दल द्वितीय इकाई गाजियाबाद	1
	190 / 18.07.12	स० दल पंचम इकाई गाजियाबाद	1(2)
	279 / 22.08.12	स० दल द्वितीय इकाई गाजियाबाद	1(1,2),2
	829 / 30.03.17	खण्ड-2 गाजियाबाद	1,2,3,4,5,6,7
मुरादाबाद	443 / 22.08.17	खण्ड-3 मुरादाबाद	2,3,4
	384 / 08.08.17	सचल दल प्रथम इकाई मुरादाबाद	1(अ),1(ब)
	424 / 21.08.17	खण्ड-3 रामपुर	1(1),1(2)
	357 / 07.08.15	खण्ड-8 मुरादाबाद	55,34,48,51(2)
	357 / 07.08.15	खण्ड-6 मुरादाबाद	16,31,36
	807 / 21.03.12	खण्ड-6 मुरादाबाद	4
	839 / 31.03.07	खण्ड-6 मुरादाबाद	1
	824 / 30.03.17	खण्ड-7 मुरादाबाद	1,2,3,4,5,6
मेरठ	188 / 09.05.11	खण्ड-3 मेरठ	2
	841 / 05.01.09	असि०कमि० खण्ड बड़ौत	4
	21 / 07.04.17	खण्ड-1 मेरठ	6
	498 / 04.09.08	खण्ड-2 मेरठ	2
	725 / 03.02.10	खण्ड-7 मेरठ	7(क), 7(ख),7(ग)
	631 / 18.11.11	खण्ड-2 बड़ौत	4
	330 / 22.07.09	खण्ड-8 मेरठ	2
	10 / 13.04.12	खण्ड-8 मेरठ	2,5
कानपुर द्वितीय	817 / 04.03.10	खण्ड-20 कानपुर	1,2,5
	848 / 03.04.12	खण्ड-28 कानपुर	4
	135 / 07.06.13	खण्ड-26 कानपुर	1,5,7
	820 / 30.03.17	खण्ड-25 कानपुर	1,4,5,6,11
आगरा	524 / 28.09.17	खण्ड-7 आगरा	3(i),3(ii),5,12
	24 / 07.04.17	खण्ड-12 आगरा	3,5,7,8, 9(i),9(ii),
	514 / 12.02.13	ज्वा०कमि० (कारपोरेट)	4(ii)

(Handwritten Signature)

फैजाबाद	152 / 24.05.10	खण्ड-4 फैजाबाद	6,11
	280 / 24.07.17	सचल दल बाराबंकी	1
	70 / 24.05.16	खण्ड-1 बाराबंकी	2
	289 / 13.07.10	खण्ड-1 बाराबंकी	6(i),6(ii)
	801 / 27.03.17	खण्ड-1 अमेठी	2,6
	128 / 06.07.16	खण्ड-2 बाराबंकी	6
	346 / 01.08.17	सचल दल सुल्तानपुर	1,2
	293 / 26.08.16	सचल दल फैजाबाद	2
	836 / 31.03.17	खण्ड-5 फैजाबाद	5
	943 / 02.02.09	खण्ड-2 बाराबंकी	3
	739 / 14.01.11	खण्ड-2 बाराबंकी	1,3,6,7
	645 / 11.12.17	खण्ड-1 बाराबंकी	4
	वाराणसी-प्रथम	784 / 20.03.17	खण्ड-14 वाराणसी
610 / 18.11.11		खण्ड-11 वाराणसी	2
25 / 07.04.17		खण्ड-10 वाराणसी	4,3(i),3(ii)
824 / 28.03.12		खण्ड-4 वाराणसी	1,2,3,4,5,6
झांसी	879 / 31.03.10	खण्ड-1 बांदा	5
	723 / 11.11.08	खण्ड-1 बांदा	12(i),12(ii),12(iii)
	819 / 28.03.12	खण्ड-1 कर्वी	4
	108 / 22.05.13	खण्ड-1 बांदा	7
	778 / 24.02.12	खण्ड-1 बांदा	1,2,9
	823 / 30.03.17	खण्ड-1 झांसी	1,2
	879 / 31.03.10	खण्ड-1 बांदा	7
	704 / 02.02.12	खण्ड-4 झांसी	1,3
	275 / 24.08.16	सचल दल तृतीय इकाई रक्सा झांसी	1
	459 / 04.08.11	सचल दल प्रथम इकाई बांदा	1,2
	335 / 06.08.15	सचल दल द्वितीय इकाई बांदा	1(i)
	335 / 22.07.11	सचल दल इकाई कर्वी	1
	373 / 12.10.12	सचल दल इकाई कर्वी	1(i),1(ii)
	373 / 14.10.13	सचल दल इकाई कर्वी	1
	323 / 29.08.16	सचल दल जालौन	1
	618 / 09.11.15	सचल दल जालौन	1
	411 / 17.08.15	सचल दल महोबा	1
	303 / 08.08.14	सचल दल इकाई कर्वी	1
	266 / 23.08.16	सचल दल महोबा	1
	282 / 24.08.16	सचल दल चतुर्थ इकाई झांसी	1(1)

(कार्यवाही सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर)

3. उपसमिति द्वारा भाग-2 (ब) के निम्न प्रस्तरों का अनुपालन सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण पुनः अनुपालन प्रेषित करने हेतु निम्नवत् निर्देश दिये गये:-

जोन का नाम	प्रतिवेदन सं/दि०	कार्यालय का नाम	प्रस्तर सं०	उपसमिति के निर्देश
गाजियाबाद प्रथम	190 / 18.07.12	सचल दल पंचम इकाई गाजियाबाद	1(1)	पूर्ण एवं स्पष्ट अनुपालन संलग्नकों सहित बुकलेट प्रारूप में पुनः प्रेषित किया जाय।

मुरादाबाद	443 / 22.08.17	खण्ड-3 मुरादाबाद	5	रु0 48979.00 ब्याज की मद में जमा कराकर चालान सहित अनुपालन प्रेषित किया जाय।
	357 / 07.08.15	खण्ड-8 मुरादाबाद	51(1)	आयरन की खरीद के सम्बन्ध में आयरन खरीद सूची का परीक्षण कर कार्यवाही करते हुए पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
	357 / 07.08.15	खण्ड-6 मुरादाबाद	30	पूर्ण एवं स्पष्ट अनुपालन संलग्नकों सहित बुकलेट प्रारूप में पुनः प्रेषित किया जाय।
	22 / 07.04.17	खण्ड-10 मुरादाबाद	4	पूर्ण एवं स्पष्ट अनुपालन संलग्नकों सहित बुकलेट प्रारूप में पुनः प्रेषित किया जाय।
मेरठ	841 / 05.01.09	असि0कमि0खण्ड बड़ौत	6	रु0 500.00 विकास कर जमा किया जाना सूचित किया गया है, परन्तु ब्याज जमा नहीं किया गया है। अतः ब्याज की गणना कर ब्याज जमा कराते हुए चालान सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
	21 / 07.04.17	खण्ड-1 मेरठ	7	रु0 40223.00 का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित किया गया है। अतः ब्याज सहित वसूली कर जमा चालान सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
	82 / 28.04.09	सरधरा मंडल	1	रु0 8322.00 का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित किया गया है। अतः ब्याज सहित वसूली कर जमा चालान सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
कानपुर द्वितीय	848 / 03.04.12	खण्ड-28 कानपुर	6	रु0 48052.00 अर्थदण्ड का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित किया गया है। वसूली कर जमा चालान सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
	820 / 30.03.17	खण्ड-25 कानपुर	8	गणनानुसार रु0 6200/- ब्याज कम जमा किया जाना सूचित किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि जमा कराकर जमा चालान सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।

8

आगरा	524/28.09.17	खण्ड-7 आगरा	1(i,ii)	अधिक रिफण्ड की गयी धनराशि पर ब्याज की गणना करते हुए, ब्याज जमा कराकर जमा चालान सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
	24/07.04.17	खण्ड-12 आगरा	1	अपीलीय स्थगन आदेश को समाप्त कराने हेतु प्रभावी पैरवी कर, नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सम्बंधित अभिलेखों सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
	24/07.04.17	खण्ड-12 आगरा	6	अपीलीय स्थगन आदेश को समाप्त कराने हेतु प्रभावी पैरवी कर, नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सम्बंधित अभिलेखों सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
	85/25.05.16	खण्ड-3 आगरा	7	रु0 4661/- का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित किया गया है। अतः ब्याज सहित वसूली कर जमा चालान सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
फैजाबाद	152/24.05.10	खण्ड-4 फैजाबाद	9(a)	रु0 6000/- RITC किया जाना सूचित किया गया है, परन्तु ब्याज जमा नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि पर ब्याज की गणना करते हुए ब्याज जमा कराकर जमा चालान सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
			9(b)	आपत्ति के अनुरूप कार्यवाही करते हुए स्पष्ट अनुपालन जमा चालानों की छाया प्रति सहित, पुनः प्रेषित किया जाय।
	26/07.04.2011	खण्ड-2 सुल्तानपुर	2	रु0 900.00 कर जमा किया जाना सूचित किया गया है, परन्तु ब्याज जमा नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि पर ब्याज की गणना करते हुए ब्याज जमा कराकर जमा चालान सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
			3	रु0 5571.00 ब्याज की धनराशि का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित किया है। अतः वसूली कर जमा चालान की छायाप्रति सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।

P

801 / 27.03.17	खण्ड-1 अमेठी	3	रु0 7562.00 का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित किया गया है। अतः वसूली कर जमा चालान की छायाप्रति सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
		4	रु0 575000.00 वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित किया गया है। अतः ब्याज सहित वसूली कर जमा चालान की छायाप्रति सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
		5	सम्परीक्षा आपत्ति के अनुसार कार्यवाही कर पूर्ण एवं स्पष्ट अनुपालन संलग्नकों सहित पुनः प्रेषित किया जाय।
293 / 26.08.16	सचल दल इकाई, फैजाबाद	1	माल का अग्नि कांड में समाप्त हो जाना सूचित किया गया है। अतः अग्निकांड एवं फायर की रिपोर्ट सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
836 / 31.03.17	खण्ड-5 फैजाबाद	3	रु0 17485.00 का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित किया गया है। अतः ब्याज सहित वसूली कर जमा चालान की छायाप्रति सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
		4	रु0 11310.00 अर्थदण्ड की वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित किया गया है। अतः वसूली कर जमा चालान की छायाप्रति सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
		6	रु0 19600/- आरोपित कर ब्याज सहित जमा कराते हुए जमा चालान की छाया प्रति सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
		7	रु0 160260.00 अर्थदण्ड का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित किया गया है। अतः वसूली कर जमा चालान की छायाप्रति सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।

8

	645 / 11.12.17	खण्ड-1 बाराबंकी	1(i)	रु0 2131846.00 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कि यह धनराशि किस मद की है? समस्त अभिलेखों सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
			1(ii)	व्यापारी द्वारा दाखिल Balance sheet में दर्शित बिक्री एवं दाखिल अभिलेखों में घोषित बिक्री में अन्तर का कारण स्पष्ट करते हुए पुनः पूर्ण एवं स्पष्ट अनुपालन प्रेषित किया जाय।
			2	सम्परीक्षा आपत्ति के अनुसार कार्यवाही करते हुए पूर्ण एवं स्पष्ट अनुपालन पुनः प्रेषित किया जाय।
			3	अर्थदण्ड के सम्बन्ध में अपील विचाराधीन होना सूचित किया गया है। अतः प्रभावी पैरवी कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
			5	यू0पी0 वेट एक्ट-2008 की धारा-13(1)F के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए पुनः पूर्ण एवं स्पष्ट अनुपालन प्रेषित किया जाय।
ज्ञांसी	195 / 09.05.11	खण्ड-1 बांदा	5	रु0 16630/- की सृजित मांग का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित है। अतः ब्याज सहित वसूली कर जमा चालान की छायाप्रति सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
	723 / 11.11.08	खण्ड-1 बांदा	3	रु0 6051/- विकास कर का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित है। अतः ब्याज सहित वसूली कर जमा चालान की छायाप्रति सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
	778 / 24.02.12	खण्ड-1 बांदा	3	रु0 8717/- विकास कर जमा किया जाना सूचित है, परन्तु उक्त पर ब्याज जमा नहीं है। अतः ब्याज जमा कराते हुए जमा चालान की छायाप्रति सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।

3

335 / 06.08.15	सचल दल द्वितीय इकाई बांदा	1(ii)	अर्थदण्ड की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित है। अतः वसूली कर जमा चालान की छायाप्रति सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
616 / 09.11.15	सचल दल इकाई कर्वी	1	रु0 123552.00 अर्थदण्ड की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना सूचित है। अतः वसूली कर जमा चालान की छायाप्रति सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
282 / 24.08.16	सचल दल चतुर्थ इकाई झांसी	1(2)	रु0 91850/- अन्य हेड में जमा होना सूचित किया गया है। उक्त धनराशि का हेड संशोधित कराकर पूर्ण एवं स्पष्ट आख्या सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर)

4. उपसमिति द्वारा भाग-2 (अ) के निम्न प्रस्तरों की अनुपालन आख्या पर विचार किया गया तथा आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण पुनः अनुपालन प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं:-

जोन का नाम	प्रतिवेदन सं/दि0	कार्यालय का नाम	प्रस्तर सं0	उपसमिति के निर्देश
फैजाबाद	1412 / 31.03.08	खण्ड-2 फैजाबाद	1(3),1(8)	आरोपित कर पर ब्याज की गणना करते हुए गणना चार्ट सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
वाराणसी-प्रथम	25 / 04.07.17	खण्ड-10 वाराणसी	1	डैमेज्ड गुड्स की आईटीसी के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है कि उसकी खरीद कहां से की गयी थी एवं आरआईटीसी की कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं ? स्पष्ट आख्या सहित पुनः अनुपालन प्रेषित किया जाय।
आगरा	524 / 28.09.17	खण्ड-7 आगरा	3	वर्ष 2010-11 के कर निर्धारण आदेश में रु0 1365138.00 की आईटीसी0 वर्ष 2011-12 के लिए अग्रेणीत की गयी थी, तो वर्ष 2010-11 में इसका रिफण्ड किस आधार पर दिया गया है? वर्ष 2011-12 में अपंजीकृत से की गयी खरीद पर कर आरोपित किया गया है। यह खरीद पर आरोपित कर व्यापारी द्वारा जमा किया गया है अथवा नहीं स्थिति

8

				स्पष्ट नहीं है। अतः दोनों वर्षों 2010-11 व 2011-12 की पत्रावलियों का परीक्षण कर पूर्ण एवं स्पष्ट आख्या सहित अनुपालन पुनः प्रेषित किया जाय।
--	--	--	--	--

(कार्यवाही सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर)

5. उप समिति द्वारा भाग-2 (अ) के निम्न प्रस्तारों की अनुपालन आख्या पर विचार किया गया तथा आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही/अनुपालन आख्या सन्तोषजनक पाये जाने के कारण आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी:-

जोन का नाम	प्रतिवेदन सं/ दि०	कार्यालय का नाम	प्रस्तर सं०
गाजियाबाद प्रथम	829/30.03.17	खण्ड-2 गाजियाबाद	1
मुरादाबाद	165/04.05.11	खण्ड-2 हसनपुर	1(1), 1(2)अ, 1(2)ब
आगरा	85/25.05.16	खण्ड-3 आगरा	1
	777/03.10.17	खण्ड-13 आगरा	1, 2



(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-आ०स०-वि०ले०प०उपसमिति-बैठक-2019-20/ 1081 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 24 मार्च, 2020

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
3. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्य कर, गाजियाबाद प्रथम, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर जोन द्वितीय, आगरा, फैजाबाद, वाराणसी प्रथम एवं झांसी।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (बाह्य आडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सम्बन्धित पटल सहायकों को इस आशय से प्रेषित कि अनिस्तारित प्रस्तारों में उपसमिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही करते हुए इसकी प्रगति प्राप्त करते हुए अगली बैठक में उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
8. आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियां।



(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।